भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 521
06 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत शामिल शहर

521. श्री अ. मनिः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण के अंतर्गत शामिल शहरों का ब्यौरा क्या है और विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में चयनित शहर कहाँ-कहाँ अवस्थित हैं;

(ख) पीएमएवाई-यू के प्रत्येक चरण के अंतर्गत स्वीकृत, निर्मित और सुपुर्द किए गए मकानों की संख्या के संदर्भ में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) चयनित शहरों में परियोजनाओं को पूरा करने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और कतिपय क्षेत्रों में विलंब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) छोटे शहरों और कस्बों के लिए लक्षित पहलों सहित किफायती आवास परियोजनाओं का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कितने महानगरों को शामिल किया गया है और इन शहरों तथा छोटे शहरों में आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) से (ड.): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएवाई-यू को जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बों और महानगरों के साथ अधिसूचित नगरों और अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र सहित छोटे कस्बों, क्षेत्र और ऐसे औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण या राज्य विधान के तहत

ऐसे प्राधिकरण जिसे शहरी नियोजन और विनियमन के कार्य सौंपे गए हों,ऐसे प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित योजना/विकास क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों और गांवों में कार्यान्वित किया गया है। मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भेजे गए अनुरोध के आधार पर कस्बों और विकास प्राधिकरण क्षेत्रों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह योजना देश भर के सभी महानगरों सहित 4,618 शहरों/शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में कार्यान्वित की जा चुकी है।

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 27.01.2025 तक की स्थिति के अनुसार इस मंत्रालय द्वारा पीएमएवाई-यू के अंतर्गत देशभर में कुल 118.64 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 112.50 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और 90.25 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं।

पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और शहरों/कस्बों के लिए किफायती आवास परियोजनाओं के वितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। लाभार्थियों का चयन, परियोजनाएं तैयार करना और इनका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकाय पात्र लाभार्थियों के लिए परियोजनाएं तैयार करते हैं और योजना को एकीकृत रूप से लागू करना सुनिश्चित करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और राज्य स्तरीय मंजूरी और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) के अनुमोदन के बाद, इन्हें केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा स्वीकार्य केंद्रीय सहायता की मंजूरी के लिए मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाता है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केंद्रीय नोडल एजेंसियों (सीएनएएस) को उनके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन के आधार पर जारी की जाती है। इसके बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लाभार्थियों को सब्सिडी (केंद्रीय और राज्य घटकों सहित) का संवितरण लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी)/साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)/स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) घटक के तहत परियोजनाओं/आवासों की भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में भार मुक्त भूमि की अनुपलब्धता, लाभार्थियों की अनिच्छा, सांविधिक मंजूरी/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में देरी आदि शामिल हैं। यह मंत्रालय निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष आवासों को पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रोें के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है। इस योजना की अवधि, जो पहले 31.03.2022 तक थी, उसे योजना के ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक को

छोड़कर फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के उद्देश्य से 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमएवाई-यू के 9 वर्षों के कार्यान्वयन के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और 01.09.2024 से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों अर्थात् लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ऋण संबद्ध योजना (आईएसएस) के माध्यम से 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों द्वारा किफायती लागत पर आवास बनाया, खरीदा और किराये पर लिया जा सके।

****